कार्यालय कलेक्टर (महिला एंव बाल विकास) जिला भोपाल
"बी" ब्लॉक पुराना सचिवालय जिला भोपाल

Tel:- 0755-2548595,4002353 Email:- wcdbho@mp.nic.in

क्रमांक/मबावि/विज्ञापन/2011/ 428 भोपाल दिनांक 16/05/2011

विज्ञापन

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एंव संरक्षण) अधिनियम 2000 प्रावधानान्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन के लिये सदस्यों के रूप में चयन हेतु इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं:-

I. किशोर न्याय बोर्ड :- बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन हेतु सामाजिक कार्यकर्ता की अहर्ताऐः-

1. बाल अधिकारों संबंधी विषयों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या अन्य कल्याणकारी कार्यकलापों की योजना, कियान्वयन तथा प्रशासन से कम से कम पांच वर्षों से सक्रिय रूप से लगा हो।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।
3. कोई शिक्षक/चिकित्सक/सेवानिवृत्त लोक सेवक/कोई व्यवसायी जो किशोरों से संबंधित कार्य में लगा हुआ हो या
4. कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो बाल कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हो।
5. आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों में लिप्त न हो, नाही इस तरह का कोई प्रकरण या आरोप दर्ज हो।
6. विधि व्यवसाय करने वाले वकील को बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जावेगा।
7. आवेदक की आयु 65 वर्ष से कम होना चाहिए।

II. बाल कल्याण समिति :- बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयनित होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई अर्हता उनके अपने क्षेत्र में 5 वर्ष के अनुभव के साथ होनी चाहिएः-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. सामाजिक कार्य, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, समाज शास्त्र या गृह विज्ञान के विशेष ज्ञान की पृष्ठभूमि वाला प्रतिष्ठित, सुरक्षित नागरिक।
3. कोई शिक्षक/चिकित्सक/वरिष्ठ सेवानिवृत्त लोक सेवक, जो बाल कल्याण से संबंधित कार्य में लगा हो या
4. कोई ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, जो बाल अधिकार के कार्य में लगा हो।

5. आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों में लिप्त न हो, नाही इस तरह का कोई प्रकरण या आरोप दर्ज हो।

6. आवेदक की आयु 65 वर्ष से कम होना चाहिए।

इच्छुक व्यक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एंव बाल विकास विभाग बी ब्लॉक पुराना सचिवालय से आवेदन फार्म निशुल्क प्राप्त कर दिनांक 20.5.2011 को सांयः 5:00 बजे तक कार्यालय मे जमा कर सकते हैं।

उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों में सें जिला स्तरीय समिति द्वारा सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों को चयन किया जाऐगा। किशोर न्याय बोंड के लिए सप्ताह में दो कार्य दिवस बुधवार तथा शुक्रवार एंव बाल कल्याण समिति हेतु चयनित सदस्य को सप्ताह में दो कार्य दिवस सोमवार तथा गुरूवार 11:00 बजे से 5:00 तक नियत स्थान पर उपस्थित होकर कार्य सम्पादित करना होगा। चयनित सदस्य को ऐसे मानदेय का भुगतान किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे। बोर्ड/समिति के सदस्यों की अवधि उसकी नियुक्ति दिनांक से 5 वर्ष होगी।

कलेक्टर
जिला भोपाल